न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 80/2013/टीए

1. रामेश्वर पिता नाथुलाल ब्राह्म्ण
2. शंकरलाल पिता नाथुलाल ब्राह्म्ण
3. प्रकाश पिता स्व0 भवानीशंकर ब्राह्म्ण
   तीनो निवासी परक्याखेडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
4. सुरेश पिता स्व0 भवानीशंकर ब्राह्म्ण – मृतक के बजाय
   1. नानीबाई पति सुरेशचन्द्र ब्राह्म्ण
   2. नवीन कुमार पिता सुरेशचन्द्र ब्राह्म्ण
   3. सोनु कुमार पिता सुरेशचन्द्र ब्राह्म्ण
   4. सुशील कुमार पिता सुरेशचन्द्र ब्राह्म्ण
5. कैलाश पिता स्व0 भवानीशंकर ब्रह्म्ण
   सभी निवासी परक्याखेडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
6. कान्ता पुत्री स्व0 भवानीशंकर ब्रह्म्ण
   निवासी रायता तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
7. पुष्पा पुत्री स्व0 भवानीशंकर ब्रह्म्ण हाल मुकाम पति रामचन्द्र
   निवासी धनोरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. मांगीलाल पिता भुरालाल उर्फ भूरा ब्राह्म्ण
   निवासी परक्याखेडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. हीरलाल पिता गोकुल धाकड
   निवासी शादी तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
3. भारमल पिता देवा बलाई
4. कालु पिता डालु बलाई
5. तुलसीराम पिता डुल बलाई
   तीनो निवासी परक्याखेडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
6. रामलाल पिता डुल बलाई–मृतक के बजाय
   1. रामीबाई पत्नि रामलाल बलाई
   2. उदा पिता रामलाल बलाई
   3. लाभचंद पिता रामलाल बलाई
   4. शंकरलाल पिता रामलाल बलाई
   5. श्यामलाल पिता रामलाल बलाई
      सभी निवासी परक्याखेडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
   6. लाडु बाई पिता रामलाल बलाई
      निवासी परक्याखेडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ हाल मुकाम जगदीश चन्द्र बलाई निवासी अरनीया (धारडी) नीमच म0प्र0
7. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बेगूँ

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय आदेष उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
दिनांक 01.10.2013 प्रकरण सं. 35/1996

उपस्थित – 1. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री मोहनलाल बीलू – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट– 6 (2)

निर्णय दिनांक– 15.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बेगूँ का निर्णय गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी पहलुओ को समझे बिना एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 खारीज करने मे एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को ही एबेट करने मे वैधानिक भूल की है। अपीलान्टस की ओर से अधीनस्थ न्यायालय बेगूँ के समक्ष प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 जा0दी0 का दिनांक 08/07/2013 को वादी संख्या 4 सुरेश पिता भवानीशंकर की मृत्यु दिनांक 06/11/2008 को होने का पेश किया गया था तथा वादी के उत्तराधिकारियो अपीलान्ट संख्या 04/1 से 4/4 को वादपत्र मे पक्षकार बनाये जाने का निवेदन गया।

2. यह कि प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 के साथ ही अपीलान्ट द्वारा उक्त दिनांक को ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा रिविजन राजस्व मण्ड़ल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसका निर्णय होकर पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश है जिसकी सूचना अपीलान्ट को आदेशिका दिनांक 05/06/2013 को प्राप्त हुई है। अपीलान्ट को आदेशिका दिनांक 05/06/2013 को जानकारी होते ही बिना किसी देरी आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बेगूँ द्वारा खारीज करने मे वैधानिक भूल की है, क्योकि जब पत्रावली की रिविजन पूर्व मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई थी उसी दौरान वादी संख्या 4 (रिविजन मे विपक्षी संख्या 4) की मृत्यु हो गई थी जिसकी जानकारी भाईबन्ध होने से निगराकारान को थी। रिविजन मे कायम मुकाम बनाना निगराकारान के कर्त्तव्य मे था। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट/वादीगण की ओर से कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया था जिससे माननीय भूल मानते हुए कायम मुकाम के प्रार्थी

नानीबाई ने बाद मे प्रस्तुत दिनांक 26/09/2013 को प्रार्थना पत्र की पुष्टि मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड पर नही लेने मे भूल की है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर अवधि मे है। अतः अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर बेगूँ का दिनांक 01/10/2013 का आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट संख्या 4 मृतक के उत्तराधिकारियो को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावे एवं वादीगण के सम्पूर्ण वाद को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारीज किया गया है उसे वापिस रेस्टोर किया जाकर वाद की सुनवाई गुणावगुण पर किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट विचाराधीन था जिसमे दिनांक 08/07/2013 को आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 111 पर उपलब्ध है जिसका जवाब दिनांक 05/02/2013 को प्रस्तुत हुआ जो पृष्ठ 114 पर उपलब्ध है। कायम मुकाम के बिन्दु पर सम्पूर्ण वाद खारीज नही हो सकता केवल मृतक की हद तक ही खारीज हो सकता है। वादी संख्या 4 की मृत्यु पत्रावली जब रिविजन मे थी तब हुई है निगरानीकार का कर्त्तव्य था कि वे कायम मुकाम करवाते। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय मे लौट के आने पर निर्धारित समय सीमा मे कायम मुकाम हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली मे दिनांक 13/03/2013 को पहूँची जिसकी सूचना दिनांक 05/06/2013 को प्राप्त हुई तत्पश्चात् निर्धारित समय सीमा मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। उन्होने अपने हक मे आरआरडी 2010 पेज 147 पैरा 7, आरआरडी 2008 पेज 437 आरआरडी 2007 पेज 603 तथा 606, अतिरिक्त शपथ पत्र के पत्र दिनांक 26/09/2013 के सम्बन्ध मे आरआरडी 1993 पेज 312 की नजीरे पेश करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की मांग की गई।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि निगरानी उनके द्वारा की गई। दिनांक 08/10/2012 को राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया तथा प्रश्नगत व्यक्ति की मृत्यु दिनांक 06/11/2008 को हो चुकी थी जो रिवीजन के लम्बित रहने के दौरान ही हुई थी। आदेश 22 नियम 10 (ए) सीपीसी के अनुसार यह प्लीडर की ड्युटी होती है कि उन्हे वे कोर्ट को मृत्यु की जानकारी देवे। प्रतिपक्ष सगे भाई है जिन्हे तथ्य

की जानकारी थी जो छुपाई गई एवं न्यायालय को नही बताई गई। प्रतिपक्ष के पास एक अन्य विकल्प यह भी था कि वे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र समय सीमा मे प्रस्तुत कर देते एवं जब पत्रावली लौट कर आती तो कायम मुकाम की कार्यवाही हो जाती। मृत्यु दिनांक 06/08/2008 को हुई है तथा प्रार्थना पत्र करीब 1700 दिन बाद प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र निर्णय के 9 माह बाद पेश हुआ है जहां तक शपथ पत्र प्रस्तुत होने का प्रश्न है? वह भी आपत्ति दर्ज कराने के बाद प्रस्तुत हुआ है। राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेनुअल, 1957 पार्ट–2 की धारा 33(7) के अनुसार दावा स्वतः ही एबेट हो जाता है। इसी की धारा 17 भी महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार भी दावा चलने योग्य नही रहा जाता है। उन्होने अपने हक मे अपने आरआरडी पेज 626, आरआरडी 1985 पेज 458, सीसीसी 2016 पेज 445, एआईआर 1999 पेज 1075, आरआरडी 1985 पेज 14, आरआरडी 1985 (एनओसी)16, डीएनजे 2013 पेज 1212, आरएडब्ल्यु 2012 पेज 2024, आरआरडी 2016 पेज 1, आरआरडी 1970 पेज 332, एआईआर 2014 पेज 56 की नजीरे पेश करते हुए आग्रह किया कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रश्नगत व्यक्ति की मृत्यु रिवीजन के लम्बित रहने के दौरान हुई है तथा रिवीजनकर्त्ता की यह जिम्मेदारी थी कि वे न्यायालय को मृत्यु की जानकारी देते हुए कायम मुकाम कराते जो कि नही कराई गई है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ द्वारा प्रकरण संख्या 35/1996 मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के सम्बन्ध मे पारित निर्णय दिनांक 01/10/2013 को अपास्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है, साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए गुणावगुण के आधार पर उभयपक्षो की समुचित सुनवाई करते हुए प्रकरण पुनः निर्णित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ